कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2543 /12–1 :देहरादूनः दिनांकः 14- जून, 2024.

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः– जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत डोईवाला के अन्तर्गत सनगांव से नाहीकला तक मार्ग के नवनिर्माण हेतु 2.03 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No. FP/UK/ ROAD/37612/2018)

सन्दर्भः– सहायक महानिरीक्षक वन (के0), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय का पत्रांक– 08बी0/यू0सी0पी0/06/88/2020/एफ0सी0/1628 दिनांक 29.03.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगतनीय है कि सहायक महानिरीक्षक वन (के0), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय का पत्रांक– 08बी0/यू0सी0पी0/06/88/2020/एफ0सी0/1628 दिनांक 29.03.2024 के द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्र 2750/12–1 दिनांक 01.06.2024 के द्वारा विन्दुवार आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैः–

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
1.	However, the proposed diversion area has been revised from 3.238 ha to 2.03 ha but it has been that at some place in online Part-I the area has not been revised. The State Governement is requested to revise the area at all designated places in online Part I.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि NIC नई दिल्ली से ऑनलाईन पार्ट–1 में संशोधित क्षेत्र 2.03 हे0 करा दिया गया है।
2.	After examination of the KML file of the proposed road, it is observed that there is already an existing road available in the area. State Government shall provide justification/clarification in this regard.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्र में पहले से ही उपलब्ध सडक जो 1980 से पूर्व निर्मित है, को वन विभाग द्वारा फायर लाईन के रूप में उपयोग किया जाता है। उक्त मार्ग KML फाईल में अतिरिक्त मार्ग के रूप में प्रदर्शित हो रहा है, की चौडाई एवं ग्रेड लो0नि0वि0 मानकों के अनुरूप नहीं है। उक्त मार्ग पर वर्तमान में यातायात असुरक्षित एवं असुविधाजनक है। प्रस्तावित मार्ग निर्माण होने से सनगांव, नाहीकलां, सिंधवाल गांव, तोक के ग्रामवासियों को देहरादून मंडी तक पहुचाने के साथ ही पिछडे क्षेत्र का भी विकास होगा। इस मोटर मार्ग के निर्माण से यातायात सुगम हो जायेगा।

3.	The KML file of proposed diversion area comes to 5.13 ha instead of 2.03 ha. State Government shall provide clarification in this regard.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि KML फाईल को अलग–अलग रंगों से प्रदर्शित कर दिया गया है। आरक्षित वन भूमि को हरे रंग से सिविल/समाज भूमि को नीले रंग से तथा नाप भूमि को पीले रंग से प्रदर्शित कर दिया गया है।

अतः प्रयोक्ता अभिकरण के अनुरोध के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या :– 2543 /12–1 (दे०दू०) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।